क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष – 2021–22

कार्यक्रम का नाम– Parivar Niyojan Diwas (Upto PHC Level)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– 18 (Innovation)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): 18.1.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

Covid-19 महामारी/प्राकृतिक आपदा आदि के परिदृश्य में यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि प्रजनन स्वास्थ्य सेवा को पूर्व की भांति बहाल करने एवं निर्बाध रूप से जारी रखने की आवश्यकता है। संकट के दौर में सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण अनचाहें गर्भधारण में कोई भी वृद्धि मातृ मृत्यु दर को प्रभावित करने के साथ–साथ स्वास्थ्य देखभाल की लागत तथा नवजात स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं मुख्य रूप से आधुनिक लघु एवं लम्बे समय तक काम करने वाली गर्भनिरोधक की सूचना से आमजन को परामर्शित करने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

आमजन को बेहतर मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य में परिवार नियोजन की भूमिका एवं परिवार नियोजन हेतु उपलब्ध विभिन्न उपायों के संबंध में जानकारी देते हुये योग्य दम्पतियों द्वारा इच्छित सेवा की तत्क्षण उपलब्धता अथवा पंजीकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक के सभी स्वास्थ्य संस्थानों (DH, SDH, RH एवं PHC) पर प्रत्येक माह के एक निश्चित दिन पर परिवार नियोजन दिवस का आयोजन किया जाना है।

इकाई राशि (रू० में)– 2,000/–रूपये प्रति परिवार नियोजन दिवस

वित्तीय दिशा निर्देश :

परिवार नियोजन दिवस हेतु उपलब्ध राशि से संबंधित स्वास्थ्य संस्थान (DH, SDH, RH एवं PHC) में स्थापित परिवार नियोजन परामर्श कक्ष अथवा परामर्श हेतु उचित स्थान को सुसज्जित करने एवं आनेवाले योग्य दम्पतियों के मौलिक सुविधाओं यथा–पेयजल, पंखा, बैठने की व्यवस्था इत्यादि पर किया जाना है।

इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना एवं दिशा–निर्देश राज्य स्तर से निर्गत किया जाएगा।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का नाम – **डा0 मो0 सज्जाद अहमद/निशांत कुमार**

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9473199393/9431005971

Dr. Md. Sajjad Ahmad
State Programme Officer
State Health Society Bihar

(अविनाश कुमार पाण्डेय)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

Annexure -3

क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2021–22

कार्यक्रम का नामः National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases & Stroke (NPCDCS)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) : Organising Fixed Day Services for NCD Screening on Every Thursday

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): 18.4.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : NPCDCS कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार राज्य के चयनित 1700 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (APHC, HSC) पर Universal Screening of NCDs का क्रियान्वयन **प्रत्येक बृहस्पतिवार** को Fixed Day Services के तहत् विशेष स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना हैं।

इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में HWC के कार्यक्षेत्र की प्रत्येक आशा अपने पोषक क्षेत्र के 30 वर्ष से अधिक आयु के न्यूनतम 15 व्यक्तियों (पुरूष एवं महिला) का CBAC प्रपत्र भरकर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र के निकटवर्ती स्वास्थ्य संस्थान पर संबंधित ANM के पास NCD की स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित कर लेकर आएगी। ANM उन सभी व्यक्तियों के CBAC प्रपत्र में अंकित सूचनाओं का NCD App में प्रविष्टि सुनिश्चित करेगी। तत्पश्चात् उनका मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तीनों प्रकार सामान्य कैंसर (मुँह, स्तन एवं गर्भाशय का मुख) के लिए नियमित स्क्रीनिंग का कार्य करेगी। स्क्रीनिंग में पाये गये संदिग्ध लक्षण वाले मरीजों को टेलीमेडिसीन के माध्यम से चिकित्सक के द्वारा उसकी जाँच एवं उपचार हेतु सलाह प्राप्त करने तथा आवश्यकतानुसार निकटवर्ती अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेफर करने का कार्य भी सुनिश्चित करेगी। इस कार्य हेतु 250/– रू० (दो सौ पचास) की राशि (अल्पाहार, चाय आदि के लिए) प्रति विशेष स्वास्थ्य शिविर/प्रति HWC अनुमोदित की गई है, जिसके लिए न्यूनतम 15 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग प्रति शिविर एवं 60 व्यक्ति प्रति माह होने पर ही देय 250/– रू० की राशि का भुगतान किया जाएगा।

सभी संबंधित HWC (APHC, HSC) के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) का यह दायित्व होगा कि आशा द्वारा भरे हुए CBAC प्रपत्रों एवं Family Folders को संबधित ANM को हस्तगत करवा कर CBAC प्रपत्रों में अंकित सूचनाओं का Digitisation संबंधित ANM के द्वारा कराना सुनिश्चित करायेंगे। तत्पश्चात् स्वास्थ्य संस्थान में लाये गये सभी व्यक्तियों का मधुमेह, उच्च रक्तचाप, तीनों प्रकार के सामान्य कैंसर की स्क्रीनिंग का कार्य संबंधित ANM से कराना भी सुनिश्चित करेंगे।

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी एवं FLC का यह दायित्व होगा कि संबंधित PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं संबंधित HWC के CHO से समन्वय कर आवश्यक सामग्रियों (यथा– CBAC प्रपत्र एवं Family Folder इत्यादि) की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही, प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित होने वाले Fixed Day Services कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करते हुए राज्य NCD कोषांग को प्रतिवेदित करना भी सुनिश्चित करेंगे।

इकाई राशि (रू० में) : रू० 250 /- (दो सौ पचास) प्रति शिविर प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर प्रति जिला

वित्तीय दिशा–निर्देश :

New FMR Code	Name of Activity	Allocation Per Unit
18.4.2	Organising Fixed Day Services for NCD Screening on Every Thursday at HWC (APHC, HSC)	Rs. 250/- Per Camp/Session per HWC (Rs. Two Hundred Fifty only)

उक्त गतिविधियों हेतु आवश्यक सामग्रियों/सेवाओं को जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित दर के आधार पर जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि सामग्री/सेवाओं का दर अनुमोदित नहीं है, तो वैसी स्थिति में कार्यक्रम की महत्ता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार वित्त नियमावली (संशोधित) का अनुपालन कर नियमानुकूल कार्य किया जा सकता है।

(Dr. Namit Kumar)
Finance-Cum-logistic Consultant
State Health Society, Bihar

Dr. Rajendra Choudhary
State Programme Officer
NPCDCS

(अविनाश कुमार पाण्डेय)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० राजेन्द्र चौधरी/डॉ० नमित कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 9470003158/ 7488461522

(Dr. Namit Kumar)
Finance-Comm-logistic Consultant
State Health Society, Bihar

Dr. Rajendra Choudhary
State Programme Officer
NPCDCS

(अविनाश कुमार पाण्डेय)
राज्य कार्यक्रम प्रबंधक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना